"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2007—भाद्र 16, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पब्लिक ट्रस्ट सरायपाली, जिला महासमुंद (छ. ग.)

सरायपाली, दिनांक 17 अगस्त 2007

क्रमांक 95 क/अ.वि.अ./बा-1/2007.—चूंकि प्रमुख ट्रस्टी माधव कृपा सरायपाली द्वारा श्री सुरेन्द्र उपवेजा वार्ड नं. 10 सरायपाली द्वारा ग्राम सरायपाली में माधव कृपा ट्रस्ट की स्थापना कर ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन व व्यवस्था किये जाने हेतु समिति का निर्माण कर ट्रस्ट बनाये जाने हेतु निवेदन किया है जिसकी सुनवाई न्यायालय में दिनांक 10-9-2007 को नियत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदित विषय वस्तु के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति/दावा प्रस्तुत करना या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना पत्र के तहत नियत अवधि में इस न्यायालय में अपने दो प्रतियों में आपत्ति/दावा या सुझाव स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावा या सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	माधव कृपा ट्रस्ट सरायपाली, प. ह. नं. 9, रा. नि. मं. एवं तहसील-सरायपाली, जिला-महासमुन्द (छ. ग.)
(2)	संपत्ति	:	नगद राशि 5,000 रुपये, साहित्य पुस्तक मूल्य 30,792 रुपये, आलमारी, फर्नीचर मूल्य 10,000 रुपये.

अरविंद शर्मा,
रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/626.—पंजीयन क्रमांक 3792 दिनांक 28-9-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1156 दिनांक 21-8-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर गौण खनिज स. स. पासीद को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि. अधि., बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/919.—पंजीयन क्रमांक 3609 दिनांक 24-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 810 दिनांक 3-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर मोहल्ला विकास सह. उप. भंडार, तालापारा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा बन्दे, सहकारी निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/920.—पंजीयन क्रमांक 3724 दिनांक 18-4-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1707 दिनांक 19-12-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर दुग्ध उत्पा. स. स. मनपहरी को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. वि.-अधि., कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/921.—पंजीयन क्रमांक 3171 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1708 दिनांक 19-12-2006 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर दुग्ध उत्पादक स. स. घोघाडीह को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/922.—पंजीयन क्रमांक 2954 दिनांक 2-12-71 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1711 दिनांक 19-12-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर नवयुवक मछुआ सह. स. मर्या. नवागांव को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 23 जुलाई 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/923.—पंजीयन क्रमांक 3600 दिनांक 17-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 813 दिनांक 3-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर जय मां काली सह. उप. भंडार इंदिरा नगर बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. एम. खैरवार, सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2007

छत्तीसगढ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/974.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/113/बिलासपुर, दिनांक 29-1-2007 के तहत गुरुघासीदास प्राथ. उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित गुरुघासीदास नगर पंजीयन क्रमांक 3615 दिनांक 24-2-95 विकासखण्ड बिल्हा ज़िला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्रीमति शोभा बन्दे, सं. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-7-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/975.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1053/बिलासपुर, दिनांक 5-8-2006 के तहत महिला सह. उद्योग सहकारी समिति मर्यादित तोरवा पंजीयन क्रमांक 3455 दिनांक 7-1-92 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्रीमति शोभा बन्दे, स. नि. सहकारिता विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-7-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/978.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/810/बिलासपुर, दिनांक 4-7-07 के द्वारा लेबर कांट्रेक्ट को. आप. समिति मर्या. सीपत पंजीयन क्रमांक 141 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था अध्यक्ष एवं परिसमापक श्री बी. आर. यादव द्वारा संस्था के संबंध में टीप के अनुसार संस्था को एन. टी. पी. सी. के अधिकारी द्वारा कार्य देने हेतु आश्वासन दिया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर अध्यक्ष एवं परिसमापक द्वारा दिये गये टीप से पूर्णत: सहमत होते हुए लेबर कान्ट्रेक्ट सहकारी समिति मर्या. सीपत पं. क्र. 141 परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए पुन: जीवित करता हूं. यह आदेश आज दिनांक 28-7-07 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/979.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/197/बिलासपुर, दिनांक 14-2-07 के द्वारा भू. वि. मजदूर सह. समिति मर्या. जांजी पं. क्र. 145 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था अध्यक्ष एवं परिसमापक श्री बी. आर. यादव द्वारा संस्था के संबंध में टीप के अनुसार संस्था को एन. टी. पी. सी. के अधिकारी द्वारा कार्य देने हेतु आश्वासन दिया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर अध्यक्ष एवं परिसमापक द्वारा दिये गये टीप से पूर्णत: सहमत होते हुए भू. वि. मजदूर सहकारी समिति मर्या. जांजी पं. क्र. 145 परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए पुन: जीवित करता हूं. यह आदेश आज दिनांक 28-7-07 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 28 जुलाई 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/980.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/714/बिलासपुर, दिनांक 9-6-06 के द्वारा बजरंग कामगार सहकारी समिति मर्या. नवाडीह पं. क्र. 3933 को परिसमापन में लाया गया था. संस्था अध्यक्ष एवं परिसमापक श्री बी. आर. यादव द्वारा संस्था के संबंध में टीप के अनुसार संस्था को एन. टी. पी. सी. के अधिकारी द्वारा कार्य देने हेतु आश्वासन दिया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर अध्यक्ष एवं परिसमापक द्वारा दिये गये टीप से पूर्णत: सहमत होते हुए बजरंग कामगार सहकारी समिति मर्या. नवाडीह पं. क्र. 3933 परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए पुन: जीवित करता हूं. यह आदेश आज दिनांक 28-7-07 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 अगस्त 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/1051.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/646/बिलासपुर, दिनांक 19-5-06 के तहत फलोद्यान सहकारी समिति मर्यादित बेलगहना पंजीयन क्रमांक 3540 दिनांक 22-8-94 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. सूर्यनारायण सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 अगस्त 2007

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2007/1052.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/600/बिलासपुर, दिनांक 17-5-06 के तहत पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित उमरमरा पंजीयन क्रमांक 3749 दिनांक 13-9-96 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. सूर्यनारायण सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोटा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं छ. ग. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडीकारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 अगस्त 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/1053.—पंजीयन क्रमांक 3784 दिनांक 18-9-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 421 दिनांक 23-3-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर मठ बाबा खनिज सह. स. देवरगांव को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रारोड को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 9 अगस्त 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/1054.—पंजीयन क्रमांक 3136 दिनांक 29-3-85 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 51 दिनांक 9-1-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर आदि. मछुआ स. स. झगराखांड को परिसमापन में लाता हूं तथा सहकारिता विस्तार अधि., पेन्ड्रारोड को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 9 अगस्त 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/1055.—पंजीयन क्रमांक 3404 दिनांक 17-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 811 दिनांक 3-7-06 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर गायत्री सह. उप. भंडार महाराणा प्रताप नगर बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति शोभा बन्दे, सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 9 अगस्त 2007

क्रमांक/परिसमापन/2007/1056.—पंजीयन क्रमांक 3562 दिनांक 28-12-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 53 दिनांक 9-1-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर मोपका दुग्ध उत्पा. स. स. मर्या. मोपका को परिसमापन में लाता हूं तथा सह. विस्तार अधिकारी, बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 28 जून 2007

क्रमांक/परिसमापन/07/Q.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण 60 दिन

के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ईशा सहकारी उपभोक्ता भंडार तात्याटोपे नगर	3651/29-03-95	शोभा बन्दे	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.
2.	महामाया प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या., तिलक नगर, बिलासपुर	3652/30-03-95	शोभा बन्दे,	कार्यालय, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2007

क्रमांक/परिसमापन/07/क्यू.—छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि निम्नांकित सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्न संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवे. अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शिवम प्राथमिक सह. उप. भण्डार, कस्तुरबा नगर, बिलासपुर.	3579	महेन्द्र बन्दे, (सह. निरीक्षक)	संयुक्त पंजीयक, सह. संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.
2.	जय बालाजी सह. उप. भण्डार, भगतसिंह नगर, बिलासपुर.	3599/17-2-95	शोभा बन्दे, स. नि.	--,,--
3.	सत्यम प्राथ. उप. भण्डार, कस्तुरबा नगर	3586/20-1-95	--,,--	--,,--
4.	जय भोलेनाथ प्राथ. सह. उप. भण्डार, तोरबा	3571/5-1-95	--,,--	--,,--
5.	माँ बम्लेश्वरी प्राथ. उप. भण्डार नयापारा, दयालबंद	3560/20-12-94	--,,--	--,,--
6.	प्राथमिक सह. भण्डार, राजेन्द्रनगर, बिलासपुर	3593/10-2-93	--,,--	--,,--
7.	सरदार भगतसिंह प्राथ. उप. भण्डार, भगतसिंह नगर	3583/17-1-95	--,,--	--,,--
8.	मोहल्ला विकास सह. भण्डार, तालापारा बिलासपुर	3609/24-2-95	--,,--	--,,--
9.	प्रियदर्शीनी नगर सह. उप. भण्डार, प्रियदर्शीनी नगर	3593/17-2-95	--,,--	--,,--

शोभा बन्दे,
सह. नि.

महेन्द्र बन्दे,
सह. नि.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.